राजस्थानराज्य पशुचिकित्सापरिषद्
(राजस्थान सरकारकावैधानिक निकाय)
पशुधनभवनपरिसर
टोंकरोड, जयपुर–302015 (राज.)
दूरभाष / फैक्सनं. : 0141–2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

Rajasthan State Veterinary Council
(Statutory body of Governemnt of Rajsthan)
PashudhanBhawan Campus
Tonk Road, Jaipur- 302015 (Raj.)
Phone / Fax No. : 0141-2742671
E-mail: registrar_rsvc@yahoo.com

क्रमाक / प.7(19)आर.वी.सी / स्टोर / 2022–23 / 328 दिनांक :– 27/03/26

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद जयपुर के भण्डार में रखें अनुपयोगी / अप्रचलित / नकारा सामान जो जहां है, जैसी स्थिति में है. को नीलाम किया जाना है।

अतः समस्त इच्छुक व्यक्ति / फर्म (जी.एस.टी पंजीकृत) नीलामी बोली में भाग ले सकते है–

क्र. सं.	सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य	धरोहर राशि	नीलामी की दिनांक, समय व स्थान
1	अनुपयोगी / अप्रचलित / नकारा सामान(लकडी / लोहा / स्टील / प्लास्टिक / कंप्यूटर संबंधी / इलेक्ट्रोनिक संबंधी / अन्य विविध सामग्री)	1312750 / – रुपये	26,250 / – रुपये (धरोहर राशि सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक जमा कराई जा सकेगी)	1. नीलामी दिनांक24.04.2026 को होगी। 2. नीलामी दोपहर 12.00 बजे से शुरू होगी। 3. स्थान कार्यालय **राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद जयपुर**

नीलामी से संबंधित नियम शर्ते व अन्य आवश्यक विवरण कार्यालय समय में कार्यालय में अथवा एसपीपीपी पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

(डॉ. विकास शर्मा)
पंजीयक

क्रमाक / प.7(19)आर.वी.सी / स्टोर / 2022–23 दिनांक :–

प्रतिलिपिः–

1. समस्त कमेटी सदस्यों को सूचनार्थ ।
2. उपनिदेशक (विस्तार एवं जनसंपर्क) निदेशालय पशुपालन विभाग को भेज कर लेख है कि निलामी सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में दिनांक 24.04.2026 तक आवश्यक रूप से प्रकाशित करावें।
3. कंप्यूटर प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि निलामी सूचना विभाग की वेबसाइट तथा एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड कराये जाने की व्यवस्था करायें।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड, जयपुर
5. कैश / स्टोर्स शाखा कार्यालय हाजा.
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विकास शर्मा)
पंजीयक

Scanned with OKEN Scanner

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी में भाग लेने वाले (बोलीदाता) को बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि के रूप में 26,250/– नगद/डी.डी./बैंकर चैक में जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि समायोजित की जायेगी एवं असफल बोलीदाता की बोली समाप्ति पश्चात् धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
2. किसी भी बोली को स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
3. जिस बोलीदाता के हक में बोली छुटेगी उसे नीलामी बोली की सम्पूर्ण राशि (सभी करो सहित) मौके पर ही नकारा सामान हटाने से पूर्व जमा करानी होगी। सामान उसी दिन हटाना होगा, अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था की धरोहर राशि नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भुगतान की जायेगी।
5. उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता को कार्यालय परिसर में नकारा सामान जिस हालत में है जैसा है उसी हालत में स्वयं के खर्चे से उसी दिवस को हटाना होगा। उस दिन नकारा समान नहीं हटाने की स्थिति में नकारा सामान की चोरी इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी अधिकतम बोलीदाता की होगी।
6. नीलामी समिति/कमेटी को बोली स्वीकार करने, अस्वीकार करने, स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा एंव किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र जयपुर में होगा।
7. नीलामी में आने जाने का किराया/भत्ता देय नहीं होगा।
8. अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त कर सकते है अथवा SPPP Portal पर भी देखी जा सकती है।
9. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार नीलामी की समस्त शर्ते लागू होगी।
10. नीलामी बोली में भाग लेने वाला व्यक्ति संस्था फर्म या कम्पनी का जी.एस.टी. पंजीकृत होना जरूरी है।

डॉ. विकास शर्मा
पंजीयक

Scanned with OKEN Scanner